

विभागों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011

के क्रियान्वयन की "कार्यालयवार" जानकारी

विभाग का नाम :- .....

स. क्र.	लोक सेवा प्रदाय करने वाले कार्यालय का नाम	क्या नियम-3 के तहत कार्यालय में पदाभिहित अधिकारी की नियुक्ति की गई है? (हाँ/नहीं)	क्या नियम-4 के तहत पदाभिहित अधिकारी द्वारा कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने, उनका परीक्षण कर अभिस्वीकृति देने हेतु अधिकारी/कर्मचारी को अधिकृत किया गया है? (हाँ/नहीं)	क्या नियम-6 के तहत कार्यालय में सक्षम अधिकारी घोषित किए गए हैं? (संख्या)	क्या नियम-7 के तहत कार्यालय में अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है? (हाँ/नहीं)	क्या नियम-14(1)(क) एवं सा.प्र.वि. के परिपत्र दिनांक 17 जनवरी 2012 के अनुसार परिव्यय की राशि जमा करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पृथक से बैंक में बचत खाता खोल लिया गया है? (हाँ/नहीं)	क्या नियम-14(1)(क) के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा खोले गये बैंक खाते से भुगतान की जाने वाली राशि के विवरण हेतु पृथक से कैश बुक संघारित की गई है? (हाँ/नहीं)	क्या नियम-16 के प्रावधानों के तहत कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र-2 के अनुसार लोक सेवाओं के संबंध में सहज दृश्य स्थान पर नोटिस बोर्ड लगाया गया है? (हाँ/नहीं)	क्या नियम-17 के तहत कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र-3 एवं 4 के अनुसार पंजी संघारित की गई है? (हाँ/नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

१